

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

जनपद-हाथरस में मैसर्स एस्सार ऑल्य लि० द्वारा बरेली-मथुरा मार्ग (एस०एच०-33) किमी० 234 की बायीं पट्टी के मध्य खसरा संख्या-165क ग्राम नगला शीशम तहसील हाथरस जिला हाथरस में प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट हेतु 0.065378 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु सं० B (ii) के अनुसार निम्न प्रकार Penalty की गणना की जाती है।

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन०पी०वी०-प्रभावित वनभूमि $(0.065378) \times 9,57,780 = 62618.00$
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण $62618 \times 5 \text{ वर्ष} = 313090.00$
3. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण $62618 \times 12\% = 7515.00$
- कुल योग:- $= 320605.00$
4. Public utility project होने की दशा में 20% of Calculated amount $= 64121.00$

(शब्दों में- चौसठ हजार एक सौ इक्कीस रुपये मात्र)


(डा० अन्न प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक 12/01/2018